



2026:AHC:169463

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26558 वर्ष 2026

राघवेंद्र सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : अखिलेश कुमार तिवारी, प्रभाकांत सिंह, राम प्रकाश शर्मा
विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता : दिनेश कुमार यादव, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक द्वारा दाखिल पूरक शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पी.के. सिंह, सूचनादाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार यादव तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री शत्रुहन यादव को सुना।
3. वर्तमान जमानत आवेदन, थाना कोतवाली, जनपद महाराजगंज में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 103(1), 238(क), 238(ख), 352 के अंतर्गत पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 437 वर्ष 2025 में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदक के विरुद्ध दिनांक 04.08.2025 को दर्ज की गई थी और प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 01.06.2025 को आवेदक सूचनादाता के पति को अपने साथ ले गया था और वह वापस नहीं लौटा तथा ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी हत्या करने के पश्चात् उसके शव को छिपा दिया गया, किंतु आवेदक के विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोप पूर्णतः झूठे हैं।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अभियोजन के अनुसार आवेदक दिनांक 01.06.2025 को मृतक को अपने साथ ले गया था, जिसके पश्चात् वह वापस नहीं लौटा, किंतु इसके विपरीत वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 04.08.2025 को, अर्थात् दो माह के पश्चात्, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173(4) के अंतर्गत एक प्रार्थना-पत्र के माध्यम से दर्ज कराई गई तथा यहां तक की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173(4) के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र भी दिनांक 25.06.2025 को, अर्थात् तीन सप्ताह से अधिक समय के पश्चात्, प्रस्तुत किया गया था। अतः इससे परिलक्षित होता है कि तीन सप्ताह के पश्चात् सूचनादाता ने अंतिम बार साथ देखे जाने के साक्ष्य के संबंध में एक झूठी कहानी गढ़ी और वर्तमान मामले में आवेदक को फँसा दिया।

6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अंतिम बार साथ देखे जाने के साक्ष्य तथा आवेदक की निशानदेही पर लोहे की पाइप की बरामदगी के अतिरिक्त अभिलेख पर आवेदक के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।

7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अंतिम बार साथ देखे जाने का साक्ष्य एक शिव मूरत यादव के कथन से भी परिलक्षित होता है, किंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक विलंब से दर्ज की गई तथा शिव मूरत यादव का कथन दिनांक 05.05.2026 को, अर्थात् प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि से दस माह के पश्चात्, अभिलिखित किया गया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि हालाँकि आवेदक की निशानदेही पर लोहे की पाइप की कथित बरामदगी झूठी एवं आरोपित रूप से की गई है, किंतु आज तक भी उक्त वस्तु को वर्तमान मामले से जोड़ा नहीं जा सका है।

8. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि मात्र उपर्युक्त साक्ष्य के आधार पर प्रथमदृष्टया इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने मृतक की हत्या की है।

9. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 04.08.2025 को दर्ज की गई थी और आवेदक मई, 2026 से जेल में निरुद्ध है, किंतु वह फरार नहीं था और वास्तव में विवेचना के दौरान विवेचक आवेदक के विरुद्ध कोई साक्ष्य एकत्रित नहीं कर सका था। अतः पूर्व में वह आवेदक को गिरफ्तार नहीं कर सका, किंतु शिव मूरत यादव, जिसने अंतिम बार साथ देखे जाने का साक्ष्य दिया था, का कथन अभिलिखित किए जाने के पश्चात् आवेदक को गिरफ्तार किया गया और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक फरार था।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

11. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा सूचनादाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

12. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।

13. यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और अंतिम बार साथ देखे जाने के साक्ष्य तथा आवेदक की निशानदेही पर लोहे की पाइप की बरामदगी के अतिरिक्त अभिलेख पर आवेदक के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। यह परिलक्षित होता है कि अंतिम बार साथ देखे जाने का प्रथमदृष्टया साक्ष्य संदिग्ध है, क्योंकि वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173(3) के अंतर्गत एक प्रार्थना-पत्र के माध्यम से दो माह के पश्चात् दर्ज की गई तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173(4) के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र भी तीन सप्ताह के पश्चात् प्रस्तुत किया गया और अंतिम बार साथ देखे जाने का साक्ष्य देने वाले शिव मूरत यादव का कथन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि से दस माह के पश्चात् अभिलिखित किया गया।

14. इसके अतिरिक्त, आज तक कथित रूप से बरामद लोहे की पाइप को वर्तमान अपराध से जोड़ा नहीं जा सका है।

15. इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय के मत में, उपर्युक्त साक्ष्य के आधार पर प्रथमदृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने मृतक की हत्या की है। यह परिलक्षित होता है कि ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, जो आवेदक को वर्तमान अपराध से जोड़ सके।

16. इसके अतिरिक्त, यद्यपि यह परिलक्षित होता है कि वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 04.08.2025 को दर्ज की गई थी और आवेदक मई, 2026 से जेल में निरुद्ध है, किंतु अनुपूरक शपथपत्र में किए गए कथन को दृष्टिगत रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक फरार था।

17. इसके अतिरिक्त, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



18. अतः, उपर्युक्त विवेचित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मेरे मत में, आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

19. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

20. आवेदक- **राघवेंद्र सिंह** को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी आपराधिक एवं समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

21. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

22. यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें की गई टिप्पणियाँ जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं तथा उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

12 अगस्त, 2026

ए.के. पांडे

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।